युवा भारत : संविधान

युवा भारत उद्देश्य और कार्यक्रम

१. युवा भारत छात्र-युवाओं का राष्ट्रीय संगठन हैं जो पूंजीवादी साम्राज्यवाद को समाप्त कर शोषण विहीन समाजवादी समाजव्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

२. युवा भारत छात्र-युवाओं का एक व्यापक संगठन है जो खासतौर से छात्र-युवाओं की समस्याओं के निदान के लिए और सामान्य रुप से समाज की समस्याओं के हल के लिए संघर्षरत रहेगा। उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ती के लिए छात्र-युवाओं की जूझारु एकता और समाज के अन्य तबको के साथ व्यापक एकता कायम करेगा।

३. युवा भारत क्रांतिकारी युवाओं का संगठन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो जाती, वर्ण, वर्ग, लिंग आधारीत शोषण को समाप्त करेगा।

४. युवा भारत राष्ट्र की संप्रभूता को बचाने के लिए शोषित-पीडित समुहों को संगठित करेगा जो पूंजीवादी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करेगा। वर्तमान पूंजीवादी साम्राज्यवाद के प्रति ठोस समझ विकसित करते हुए उनके विभिन्न उपकरणों मसलन राज्य के विभिन्न अंग, तथाकथित मुख्यधारा की राजनितिक पार्टीयां और साम्राज्यवादी पूंजी से संचालित गैरसरकारी संगठन (NGO) के खिलाफ मोर्चाबंदी करेगा।

५. शोषित महिला, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान, विकलांग और अन्य तबकों को विकास के समान अवसर और उनके अधिकार के लिए युवा भारत संघर्ष करेगा।

६. युवा भारत लिंग भेद, महिला उत्पीडन और स्त्री-पुरुष विषमता के खिलाफ संघर्ष करेगा और संगठन एवं समाज में समता का मूल्य स्थापित करेगा।

७. उत्पादन, रोजगार और प्राकृतिक संसाधन पर आदिवासी, उत्पादक जातियों, घुमंतू जनजातीयों, तथा अन्य मेहनतकश समूहों के अधिकार स्थापित करने के लिए युवा भारत संघर्ष करेगा।

८. युवा भारत न केवल राजनैतिक स्तर बल्कि जीवन - मूल्य के स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित करेगा। युवा भारत जनतांत्रीक मूल्यों के आधार पर व्यक्तीवाद और उपभोक्तावाद के बजाए समाजवाद को प्रधान मानकर सामुहिक नेतृत्व, सामुहिक टीम के रुप में काम करेगा।

९. युवा भारत प्रत्येक व्यक्ती की आस्था और अनास्था अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए रूढीवाद, अंधविश्वास, कट्टरतावाद, जातीवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करेगा। धर्मो के समतावादी मूल्यों और परंपराओं को समाज में स्थापित करेगा और सांस्कृतिक विविधता को अभिव्यक्त करने के अवसर देनेवाली समाजव्यवस्था के निर्माण में योगदान करेगा।

१०. समतावादी मूल्यों के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए युवा भारत प्रतिबद्ध युवाओं की टीम देशभर में बनाएगा।

११. विश्व में चल रहे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों एवं समतावादी मुक्ती संघर्षो को युवा भारत का सक्रिय समर्थन रहेगा।

१२. संगठन, संघर्ष, रचनात्मक कार्य और सृजनशील संवाद के माध्यम से युवा भारत ऊपरोक्त उद्देश्य और मूल्य को स्थापित करेगा।

संविधान

१. संगठन का नाम - युवा भारत

२. प्रतिक चिन्ह, झंडा

३. सदस्यता - जिसकी युवा भारत की भूमिका, संगठन के संविधान को मान्यता हैं। जो संगठन का कार्य समर्पित भाव से करने को तैयार हैं ऐसा कोई भी भारतीय स्त्री-पुरुष नौजवान साथी संगठन के सदस्य बन सकते हैं।

४. संगठन का मूल घटक युनिट (इकाई) होगा। किसी भी गांव, मोहल्ला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में सात सदस्यों को जोडकर एक युनिट होगा।

५. हर बुनियादी युनिट से दो दो सदस्यों के सहयोग से प्रखंड (तेहसिल), जिला या शहर स्तर पर १० सदस्यों की समिती गठित की जाएगी जिसमें से तीन सदस्य आम सहमती से प्रखंड (तेहसिल), जिला, या शहर स्तर के संयोजक का कार्य करेंगे। इस समिती का गठन प्रखंड (तेहसिल), जिला या शहर स्तर के वार्षिक शिविर द्वारा किया जाएगा।

६. प्रखंड (तेहसिल), जिला या शहर स्तर के प्रतिनिधियों के राज्य स्तरीय वार्षिक शिवीर/सम्मेलन द्वारा राज्य समिती का गठन होगा। इस समिती में कम से कम १५ सदस्य होंगे और उनमें से ३-५ राज्य संयोजक आम सहमती से चूने जाएंगे।

७. भारत बहुभाषिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधतापूर्ण राष्ट्र होने के कारण युवा भारत की राष्ट्रीय समिती का चयन राज्य समिती द्वारा आम सहमती से चुने गए प्रतिनिधी द्वारा गठित होगी। राष्ट्रीय समिती के गठन में उपेक्षित शोषित समूह और राज्यों के व्यापक प्रतिनिधीत्व का खयाल रखा जाएगा। आमतौर पर हर युनिट से कम से कम ५ प्रतिनिधी को लेकर युवा भारत का द्वैवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। द्वैवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा संगठन की कार्यप्रणाली, कार्यक्रम, आंदोलन के बारे में व्यापक रुपरेखा तैयार की जाएगी।

८. युवा भारत के द्वैवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य समिती द्वारा राष्ट्रीय समिती के लिए चूने गए सदस्यों के आधार पर राष्ट्रीय समिती का गठन एवं घोषणा होगी।

९. नवनिर्वाचित राष्ट्रीय समिती के सदस्य आम सहमति से ५-७ राष्ट्रीय संयोजकों की राष्ट्रीय संयोजन समिती का चयन करेगी और उसकी घोषणा द्वैवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन ही की जाएगी।

१०. सामान्यतः सभी इकाईयॉं १५ दिनों में एक बार बैठक करेगी। इसी तरह प्रखंड (तेहसिल), जिला और शहर स्तरीय समिती की बैठक महिने में एक बार और राज्य समिती की बैठक दो महीने में एक बार करेगी। बैठक में हुए निर्णयों एवं सुंझावों से राज्य समिति एवं राष्ट्रीय समिति को अवगत कराया जाएगा। संबंधित इकाई के संयोजक मंडल का यह दायित्व होगा कि बैठक में लिए गए फैसलो को क्रियान्वित करे और संगठन को मजबूत करें।

११. युवा भारत की राष्ट्रीय समिती तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी। इस बैठक में कार्यक्रम से संबंधित फैसले लिए जायेंगे और संगठन को दिशा-निर्देश दिया जायेगा। राष्ट्रीय संयोजक मंडल का दायित्व

होगा कि राष्ट्रीय समिति में लिए गए फैसले पर अमल करे। राष्ट्रीय संयोजक मंडल दो महीने में एक बार बैठक करेगा।

१२. संगठन की किसी भी स्तर - युनिट, प्रखंड (तेहसिल), शहर, जिला, राज्य और राष्ट्रीय समिती की बैठकों में कम से कम ५० प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिती अनिवार्य होगी।

१३. युवा भारत के हर सदस्य को वार्षिक सदस्यता राशि देना अनिवार्य होगा। सदस्यता राशि का ५० प्रतिशत राष्ट्रीय समिती को, २५ प्रतिशत राज्य समिती को और २५ प्रतिशत स्थानीय इकाई को जाएगा।

१४. सदस्यता प्रपत्र (फॉर्म), रसीद बुक छपवाकर वितरीत करने का अधिकार राष्ट्रीय समिती को होगा।

१५. युवा भारत के सदस्य की जिम्मेदारी :-

१. युवा भारत के साथी अपनी सदस्यता राशि और पत्रिका की राशि नियमित रुप से देंगे।

२. युवा भारत के विचार, कार्यो का प्रसार-प्रचार करते हुए संगठन की सदस्यता बढाएंगे और नयी इकाई का गठन करेंगें ।

३. संगठन के निर्णय, प्रस्ताव और कार्यक्रमों को सामुहिकता से कार्यान्वित करेंगे।

४. वे अध्ययन केंद्रो का आयोजन करेंगे और उनमें अन्य युवाओं को शामिल करेंगे।

५. युवा भारत के राजनैतिक, वैचारिक, सांगठनिक मूल्यों को लेकर अपने सुझाव युनिट की बैठकों में रखेंगे अथवा लिखित रूप में अपने सुझाव राज्य समिती और राष्ट्रीय समिती को भेजेंगे।

६. सभी साथियों से मिलकर संगठन के कार्यक्रमों में पहलकदमी करेंगे।

७. संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारीयों का निर्वाह करेंगे और सामुहिक रुप से कार्य करेंगे।

१६. सांगठनिक इकाई की जिम्मेदारी :-

१. स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत तथा उसका विस्तार करना।

२. युवाओं के स्थानीय सवालों पर पहलकदमी करना।

३. परिवर्तन के लिए साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में भाग लेना।

४. अध्ययन केंद्रो के माध्यम से युवाओं के बीच राजनैतिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण का प्रचार - प्रसार करना।

५. राज्य एवं राष्ट्रीय समिती द्वारा निश्चित किए गए कार्यक्रमों को अमल में लाना।

१७. राज्य समिती की जिम्मेदारी :-

१. सांगठनिक गतिविधियों का रिपोर्ट राष्ट्रीय समिती को भेजना और वार्षिक सम्मेलन में रखना।

२. राजनैतिक, वैचारिक, सांगठनिक प्रस्तावों को राष्ट्रीय समिती को भेजना।

३. राज्य के सभी इकाईयों का राजनैतिक एवं वैचारिक मार्गदर्शन करना।

४. सभी इकाईयों में समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय समिति के कार्यक्रमों और निर्णयों को अमल में लाना।

५. राज्य के स्तर पर राजनैतिक एवं सांगठनिक निर्णय आम सहमति से लेकर क्रियान्वित करना।

६. राज्य स्तर पर राज्य समिति युवा भारत के नियमित फैसले लेनेवाला उच्चतम इकाई होगी जो राज्य से संबंधित राजनैतिक एवं सांगठनिक निर्णय लेगी।

१८. राष्ट्रीय समिती की जिम्मेदारी :-

१. संगठन की भूमिका, कार्यक्रम एवं सांगठनिक गतिविधियों की रिपोर्ट राष्ट्रीय सम्मेलन में रखना।

२. राजनैतिक, आंदोलनात्मक और सांगठनिक निर्णय एवं प्रस्ताव आम सहमती से लेना।

३. सभी इकाईयों को राजनैतिक और वैचारीक मार्गदर्शन करना।

४. युवा भारत समाचार (जो युवा भारत का मुखपत्र है) के प्रकाशन एवं वितरण की जिम्मेदारी लेना।

५. प्रखंड, जिला एवं राज्य की सभी इकाईयों को समन्वित कर संगठन के निर्णय, प्रस्ताव एवं कार्यक्रमों को अमल में लाना।

१९. राष्ट्रीय संयोजन समिती की जिम्मेदारी :-

१. राष्ट्रीय समिति द्वारा गठित ५-७ सदस्यों की राष्ट्रीय संयोजन समिति का दायित्व होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी इकाईयों का संयोजन करें।

२. राष्ट्रीय समिती की दो बैठकों के अंतराल काल में राष्ट्रीय संयोजन समिति को सांगठनिक, राजनैतिक और आपातकाल में आंदोलनात्मक निर्णय लेने का अधिकार होगा।

३. राष्ट्रीय संयोजन समिती के सदस्य (राष्ट्रीय संयोजक) युवा भारत का सामुहिक नेतृत्व होगा।

४. युवा भारत की सभी गतिविधियों में राष्ट्रीय संयोजन समिती आपस में समन्वय बनाकर संगठन को मार्गदर्शन एवं नेतृत्व करेंगे।

५. राष्ट्रीय संयोजन समिती की बैठक आम तौर दो महिने में एक बार होगी। इन बैठकों में भावी दिशा एवं रणनीति से संबंधित प्रस्ताव लेगी और उनकी स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय समिती में उन्हे रखेगी। साथ ही सांगठन के कार्यक्रमों का वह मूल्यांकन करेगी।

२०. संगठन की कोई भी घोषणा, निवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, पत्रक, पोस्टर एवं साहित्य राष्ट्रीय संयोजक, राज्य / जिला / प्रखंड (तेहसिल) / शहर इकाई के संयोजक और उनकी समिती के नाम से ही प्रकाशित किया जाएगा।

२१. संगठन के संविधान को बदलने एवं संशोधित करने का पूरा अधिकार युवा भारत के राष्ट्रीय सम्मेलन को होगा।

१. इस संदर्भ में राष्ट्रीय समिती आम सहमती से प्रस्ताव रखेगी।

२. युवा भारत का कोई भी साथी संगठन की भूमिका / संविधान के संदर्भ में सुझाव अपने समिती / राष्ट्रीय समिती में चर्चा हेतू रख सकता हैं।

इंकलाब जिंदाबाद!